भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4798

23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

चीनी उद्योग

4798. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि भारत सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है और किसान इस उद्योग के प्रमुख हिस्सा हैं चीनी उद्योगों के लिए बेहतर नीतियों के संबंध में कोई कार्रवाई की है/करने का विचार है जो कि गन्ना किसानों के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की अवधारणा लेकर आई है, जिसके अंतर्गत किसानों को लाभ और जोखिम के लिए अपफ्रंट मार्जिन आश्वस्त की जाती है। केन्द्रीय सरकार, सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर चीनी मौसम 2009-10 से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित कर रही है। इसके अलावा, किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का यथासमय भुगतान सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं। चीनी के अधिशेष उत्पादन के कारण चीनी के मूल्यों में मंदी आने से चीनी मिलों की नकदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना बकाया संचित हो गया है। चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए उनकी नकदी की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित हस्तक्षेप/उपाय किए हैं:-

.....2/-

(i) घरेलू बाजार में कारखाने के द्वार पर बिक्री के लिए चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) 29 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है, जिसे चीनी मौसम 2018-19 के लिए बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 01.07.2018 से एक वर्ष के लिए चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया गया, जिसके लिए सरकार द्वारा रखरखाव की लागत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

(iii) गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 के दौरान चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए क्रमशः 5.50 रुपए प्रति क्विंटल और 13.88 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की गई है।

(iv) चीनी मौसम 2018-19 में, देश से चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभारों से संबंधित व्यय का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(v) इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के अंतर्गत आपूर्ति करने के लिए सी-हेवी शीरे, बी-हेवी शीरे और गन्ने के रस से उत्पादित इथनॉल के अलग-अलग लाभकारी मूल्य निर्धारित किए हैं।

(vi) इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विस्तार के लिए बैंकों के माध्यम से शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरियों और चीनी मिलों के साथ संबद्ध डिस्टिलरियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(vii) चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से सरल ऋण प्रदान किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा 7% की दर से ब्याज छूट का प्रावधान है।

*****